

Day-2

? Question:

Moderate of level → Cognitive

dimensions → diagrams / innovative

✓ Discuss how the Government of India Acts of 1858 and 1861 reflect the British response to the Revolt of 1857 — not just as a political crisis, but as an administrative reckoning.

1858 और 1861 के भारत सरकार अधिनियम 1857 की विद्रोह के प्रति ब्रिटिश प्रतिक्रिया को केवल एक राजनीतिक संकट नहीं, बल्कि एक प्रशासनिक पुनर्विचार के रूप में कैसे दर्शाते हैं — इस पर चर्चा कीजिए। 38M

reference

Ranjan Kumar

Q. 1858 और 1861 के भारत संस्कार अधिनियम 1858 के विटोह के पश्चात् ब्रिटिश शासन के केवल एक राजनीतिक संकट नहीं बल्कि एक प्रामाणिक पुर्वविचार के रूप में केले दर्ज हैं?

✓ 1857 के विटोह ने ब्रिटिश शासन के पर्याप्त आदर्शों में भारतीय आसंगोष का उच्चार किया और प्रामाणिक और राजनीतिक सुधारों की आवश्यकता पर जोर दाला। ब्रिटिश क्राउन ने 1858 में भारत संस्कार अधिनियम 1858 के माध्यम से इस्तेहास के अन्तर्गत भारत का शासन अपने हाथों में ले लिया और 1861 का भारतीय परिवद्य अधिनियम भारत में ब्रिटिश शासन को पुर्वविचार और परिवर्तन के घोषक प्रब्राह्म का हिस्सा था

1858 और 1861 के भारत संस्कार अधिनियम इस भारत का प्रभाव की ब्रिटिश संस्कार ने उस विटोह के केवल एक राजनीतिक संकट के रूप में नहीं बल्कि एक प्रामाणिक पुर्वविचार की आवश्यकता के रूप में देखा जिन्हें निम्नलिखित विंडमो के माध्यम से देखा जा सकता है।

1858 के भारत संस्कार अधिनियम - शासन का केंद्रीकरण

1861 के भारत संस्कार अधिनियम - सुलैख और मुआवजान

प्रामाणिक पुर्वविचार का प्रभाव

1858 के भारत संस्कार अधिनियम - शासन का केंद्रीकरण

- 1858 के भारत संस्कार अधिनियम के प्रभाव से कृपनी से शासन सीधे ब्रिटिश राज के अधिन कर दिया गया
- इस अधिनियम ने कृपनी से पुर्वविचार के लिए और आंदोलन के लिए अधिनियम

ओर कई आंत डायरेक्टर्स को समाज कर दिया और
उसकी वजह भारत के लिए एक शक्ति सभिय और
भारत परिषद की स्थापना की

- इस अधिनियम से भारत का प्रशासन विहित
प्रशासन के अधिन के नियम हो गया। यह कदम
कृपणी के अधिनियम ओल्ड लॉन्ग के नियम प्रशासन से
दूर एवं सुरक्षित और जिम्मेदार प्रशासन की
ओर बढ़ने का संकेत आ

1861 के भारत सरकार अधिनियम - लंगलह और मामावडान

- 1857 के क्रांति ने यह रूपरूप किया की शासन के लिए
संघर्ष करने से बड़ी लल सकता - 1858 लिए
वेधता सभानीय संघर्षण और संस्थानात्मक संघर्षण
परिणाम अन: इस अधिनियम ने शासन की
मार्गदर्शिका में मार्गदर्शिका की मार्गदर्शिका की दिशा
में कदम उठाया

Side-headings
- इस अधिनियम ने प्रांगीन स्तर पर विद्याची-
परिषद की स्थापना और उन परिषदों में कुछ
मार्गदर्शिका को नामित करने की अनुमति दी
हल्लाति थह एवं सीमित प्रयास था। इससे विहित
सरकार की मार्गदर्शिका जैसी और
अवश्यकता को बोल्ड ढंग से समझने का अवधार
मिला और विकास के मूल कारणों में से एक
था

प्रशासनिक पुर्वविचार के 45 ग्राम

- कृपणी के शासन से ताज का ग्राम
- दूसरे चारों सुधार - 21 ग्रंथ सभिय और
भारत परिषद की स्थापना ने

विरोध निर्माण को अपनाहिक तौर समर्थित
बनाया

→ भारतीय भाषीदारी - 1861 का अधिनियम से
भाषीजों को विद्याली प्रक्रिया में शामिल
करके शासन को स्व समावेशी और संवेधनशील
बनाने का प्रयास आ जिससे भविष्य भे अतंग्रोप
कर्म किया जा सके

* * निर्देश

1858 और 1861 के भारत सरकार अधिनियम
इस ग्रन्त के उपर्युक्त संकेतक है की विद्या
सरकार ने 1857 के विद्रोह को ए राजनीतिक
चुनौती के रूप में नहीं घलकि ए अपेक्षित-
निक पुनर्विचार के अवसर के रूप में देखा।
उसने को राज के भवित्व भाकर, भारतीयों को
भी ग्रन्त 200 में विद्याली प्रक्रिया में शामिल करके
प्रशासन को अधिक प्रभावी, उत्तरदायी बनाया।
विद्याली के विद्रोह के परि प्रतिरोधी बनाया गया।
इस प्रकार एह परिवर्तन विद्याली शासन में ए
प्रत्येक वर्ष बदलाव को दर्शाते हैं जो विद्या का निक
अधिकार पर केंद्रित था

Timexx

Rajya Krur (Roxwell)

Time taken - 2:30 minutes